

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-292/ग्यारह-9(175)/14-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(130)-2015
लखनऊ:दिनांक: 12 मार्च, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 13 मार्च, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-चार में,-

(एक) कम संख्या 4(ख) की प्रविष्टि के स्थान पर कमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर %
1	2	3	4
4(ख)	डीजल आयल जैसाकि यूनाइटेड प्राविन्सेस सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाले विद्युत उत्पादन गृहों को बिजली के उत्पादन में प्रयोग के लिये कमिशनर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री की गयी हो।	नि०/आ०	6%
4(ग)	डीजल आयल जैसाकि यूनाइटेड प्राविन्सेस सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, कम संख्या-4(क) एवं 4(ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि०/आ०	17.48%

(दो) कम संख्या 7(ख) की प्रविष्टि के स्थान पर कमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर %
1	2	3	4
7(ख)	फर्नेस आयल, जिसमें रेजीडुअल फर्नेस आयल सम्मिलित है, जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाले विद्युत उत्पादन गृहों को बिजली के उत्पादन में प्रयोग के लिये कमिशनर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री की गयी हो।	नि०/आ०	6%
7(ग)	फर्नेस आयल जिसमें रेजीडुअल फर्नेस आयल सम्मिलित है, कम संख्या-7(क) एवं 7(ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि०/आ०	21%

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।